न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–391 / 2017

1. भूरा पुत्र नानगा जाति माली, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा खोर, तहसील व जिला जयपुर।

2. घासी पुत्र नानगा, जाति माली निवासी ग्राम जयसिंहपुर खोर, तहसील व जिला जयपुर।

–अपीलार्थीगण–

बनाम

1. चौगान पुत्र चन्दा जाति माली निवासी ग्राम जयसिंहपुरा खोर, तहसील व जिला जयपुर।

2. नाथूलाल पुत्र महादेवा जाति माली निवासी ग्राम जयसिंहपुरा खोर, तहसील व जिला जयपुर।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जयपुर जिला जयपुर।

4. उप पंजीयक कार्याय तहसील जयपुर जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स –

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1–श्री सी. पी. बलाई अपीलांट की ओर से।

2–श्री एन.के. यादव रेस्पोडेंट सख्या 01 की ओर से।

3–श्री विजय कुमार शर्मा रेस्पो0 सख्या 02 की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–24–11–2017

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 16–3–2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम बउनवानी चौगान बनाम भूरा व अन्य प्रकरण संख्या 115 / 2016 प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 सख्या 01 वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम जयसिंहपुरा खौर में स्थित वादग्रस्त

आराजी कुल किता 11 कुल रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा स्थित हैं जिसके वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है।उक्त वादग्रस्त भूमि का विधिवत विभाजन नहीं होने से वाद प्रस्तुत कर कब्जा काश्त एवम मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन का अनुतोष चाहा गया तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने की प्रार्थना–पत्र की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16–03–2017 को प्रकरण में अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री जारी की गई जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट्स द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवम कानूनी त्रुटि की हैं इसलिये अपास्त किये जाने योग्य है।अपीलान्ट्स को सुनवाई एवम साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिये बिना उक्त आदेश पारित किया गया हैं। अपीलान्टस दिनांक 05–06–2017 को तहसील कार्यालय में आया तो ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त भूमि के बाबत बंटवारा करने का निर्णय हो चुका हैं इस पर दिनांक 6–6–2017 को नकल का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 7–6–2017 को नकल प्राप्त कर अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी गई है तथा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम भी संलग्न किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा उपर्युक्त कथन कर अपील स्वीकार किये जाने एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16–03–2017 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्टस को जरिये जोटिस तलब किया गया अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभयपक्ष सुनी गई ।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सख्या 01 व 2 एवम 5 की तामील पर कोई विवेचना नहीं की गई हैं तथा न ही एकतरफा कार्यवाही की गई है। अपीलाधीन निर्णय स्पीकिंग आर्डर की श्रेणी में नहीं आता हैं इसलिये उक्त आदेश अपास्त योग्य हैं।

5–अधिवक्ता रेस्पो0 सख्या 01 की ओर से बहस का जवाब देते हुऐ कथन किया गया कि वाद मात्र विभाजन का है तथा प्राथमिक डिक्री की अपील प्रस्तुत की गई हैं जिसमें गुणावगुण पर कोई आपत्ति नहीं की गई है इसलिये अपील चलने योग्य नहीं हैं।अपीलान्ट्स द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई हैं

तथा प्रार्थना–पत्र में दर्ज प्रतिलिपि साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं की गई हैं। अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही अपीलाधीन आदेश की जानकारी रही हैं तथा जानबूझकर विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है प्रकरण की मेरिट में भी कोई बल नहीं हैं इसलिये अपील मियाद बाहर होने तथा विधिक बलरहित होने से खारिज योग्य हैं। अधिवक्ता रेस्पो0 सख्या 02 द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06–01–2017 को अपीलान्ट्स प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए0 डी0 नोटिस तलब किया गया था जो एक माह से अधिक समय पश्चात भी लौटकर नहीं आने के कारण न्यायालय द्वारा उचित तौर पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा में सुनवाई गई हैं। प्रतिवादी सख्या 03/ रेस्पो0 सख्या 2 द्वारा जवाब दावा भी दिया गया हैं तथा प्रकरण मात्र बंटवारे का है कोई घोषणा का अनुतोष नहीं चाहा गया है तथा अपीलान्ट के पास अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्तावों के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर मौजूद हैं। अपील मात्र देरी करने की गरज से प्रस्तुत की गई है इसलिये अपील खारिज फरमाई जावें।

6– उभयप्रक्ष की बहस पर मानन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवम उसमें उपलब्ध दस्तोवजात का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा वाद मात्र विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है यह एक स्वीकृत तथ्य हैं। वादी द्वारा कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुऐ तथा मिट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण सख्या 1,2 व 5 की तामील हेतु दिनांक 6–1–2017 को रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस जारी किये गये थे। उक्त नोटिस एक माह पश्चात भी लौटकर नहीं आने से तामील होना माना जाने का प्रावधान सी0पी0सी0 में हैं इसी आशय से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 16–03–2017 में अंकित किया है कि ''प्रतिवादीगण सख्या 1, 2 व 5 को प्रेषित रजिस्टर्ड डाक से संबंध बाबत रसीदें प्राप्त शामिल मिसल की गई'' ।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह अंकित करते हुए कि वाद तकासमें का हैं, प्राथमिक डिक्री जारी कर वादग्रस्त आराजीयात के कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार जयपुर को निर्देशित किया गया हैं। उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये हैं कि

कुर्रेजात प्रस्ताव उभयपक्ष की उपस्थिति में सरस–नरस के आधार पर राजस्थान काश्तकारी विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए भिजवाये जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं हैं। अपीलान्टस द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध जो अपील प्रस्तुत की गई है उसमें मात्र यह आपत्ति ली गई है कि उन्हें सुनवाई एवम साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं तथा गुणावगुण पर कोई आपत्ति नहीं की गई हैं अपीलान्ट्स के समक्ष प्रकरण में प्राप्त होने वाले कुर्रेजात प्रस्तावों में आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर उपलब्ध हैं। दावा मात्र विभाजन का है तथा घोषणा का कोई बिन्दु निहित नहीं हैं वादग्रस्त आराजी का संयुक्त खातेदारी में होना स्वीकृत तथ्य है इन परिस्थितयों में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी की गई है उसमें कोई सारभूत विधिक त्रुटि नहीं है। वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया जाना अपीलान्ट्स के हित में भी हैं तथा विभाजन से उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति होना संभावित नहीं हैं। विभाजन प्रस्तावों पर आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर भी उनके पास उपलब्ध है।इस प्रकार अपील मात्र प्रकरण को देरी करने की गरज से प्रस्तुत किया जाना स्पष्ट हैं तथा अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है एवं अपील खारिज योग्य है।

8– अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16–03–2017 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

9– निर्णय आज दिनांक 24–11–2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर